SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

प्रचार-प्रदर्शन /0008/2022-प्रचार **21 जुलाई 2022**

परिपत्र

एमएआई सहायता योजना एवं दिशा-निर्देशों के तहत 'वर्ल्ड फूड मोस्को 2022' में स्पाइसेस बोर्ड की सहभागिता

***

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एमएआई सहायता योजना एवं दिशा-निर्देशों के तहत मोस्को, रूस में 20 से 23 सितंबर 2022 के दौरान आयोजित होने वाले 'वेल्ड फूड मोस्को 2022' में भाग ले रहा है। स्पाइसेस बोर्ड बोर्ड के स्टाल में पंजीकृत मसाला निर्यातकों की सहभागिता आमंत्रित कर रहा है। बोर्ड सभी निर्यातकों को सामान्य क्षेत्र सहभीगिता प्रदान करता है। सहभागिता के लिए शर्तें नीचे सूचीबद्ध है।

1) चयन पहले आओ - पहले पाओ आधार पर होगा। इच्छुक निर्यातक अपना अनुरोध ई-मेल द्वारा 29 जुलाई 2022 को सायं 5.00 बजे या उससे पहले **publicity.sb-ker@gov.in** पर और प्रतिलिपि **prathyush.tp@nic.in** पर भेजेंगे।

2) आवेदन की प्रस्तुति स्थान के आबंटन की गारंटी नहीं देती है। जहाँ भी लागू हो, स्थान का आबंटन उपलब्धता और मेला आयोजन प्राधिकरणों से अनुमोदन के आधार पर होगा।

3) बोर्ड सभी मेलों में निर्यातकों को, स्पाइसेस बोर्ड पविलियन के अधीन भाग लेने वाले निर्यातकों की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत काउंटर आंबटित करने का प्रयास करेगा ।

4) चयनित निर्यातक को एक ग्लास काउंटर टेबल / दो कुर्सियां / प्रावरणी नाम / एक ब्रांडिंग विकल्प / ब्रोशर स्टैंड आदि प्रदान किया जाएगा।

5) बोर्ड सहभागीदारी की व्यवस्था केवल बोर्ड के स्टॉल में करेगा। यात्रा, विसा, बोर्डिंग एवं लोड्जिंग, स्थानीय परिवहन आदि संबंधित सभी व्यवस्थाएँ और सभी अन्य व्यय सहभागी निर्यातक द्वारा वहन किया जाएगा।

6) एक बार निर्यातक सहभागिता के लिए चयनित होने पर प्रदर्शक पास कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल दो पदधारियों को दिया जाएगा।

7) निर्यातक स्पाइसेस बोर्ड योजना के द्वारा मेले में भाग लेने के लिए किफायती हवाई किराए की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कर सकता है। सामान्य श्रेणी के लिए प्रतिवर्ष सहायता प्रति वर्ष हवाई किराए की लागत का 50% बशर्तेकि अधिकतम 1.50 लाख रुपये होगी और अ जा/अ ज निर्यातक, एफपीओ निर्यातक, उत्तरपूर्व क्षेत्र (सिक्किम और दार्जीलिंग सहित) और अन्य हिमालयी राज्य/ जम्मू व कश्मीर और लद्दाख, आईटीडीपी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित राज्य एवं द्वीप(अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप के संघ शासित प्रतेश) के लिए प्रति वर्ष हवाई किराए की लागत का 75 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम 2.25 लाख रुपए होगी। यह योजना उपलब्ध करने के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

8) बोर्ड सहभागीदारी के निबंधन और शर्तों पर अनिवार्य बदलाव लाने का अधिकार रखता है। स्थान का आबंटन और सहभागीदारी से संबंधित सभी मामलों के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9) इच्छुक निर्यातक अपना ई-मेल अनुरोध निम्नलिखित फोर्मेट में साझा करेंगे;

कंपनी का नाम (सीआरईएस के अनुसार)	**सीआरईएस पंजीकरण संख्या**	**पता**	**कंपनी प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम**	**मोबाइल नंबर**

स्थान: कोच्ची **[निदशक] [विपणन]**